



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276467
CG-DL-E-24092026-276467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 55]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ ASVINA 1, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

का.नि.आ. 55 (अ).— नौसेना अधिनियम, 1957 (वर्ष 1957 का 62) की धारा 184 द्वारा पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नौसेना (अनुशासन तथा विविध प्रावधान) विनियम, 1965 में आगे और संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) ये विनियम नौसेना (अनुशासन एवं विविध प्रावधान) संशोधन विनियम, 2026 कहे जाएंगे।
(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- नौसेना (अनुशासन एवं विविध प्रावधान) विनियम, 1965 में, विनियम 59 में, उप-विनियम (9) में, शब्द “अनुरोध” के लिए शब्द “सेवा आवेदन का प्रक्रमण” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा सं. डीएल/एमएफ/2435/एसआरओ]

रियर एडमिरल कुणाल सिंह राजकुमार, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 4 में संख्या एस.आर.ओ., 2(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1965, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके तत्पश्चात एस.आर.ओ. 15(अ) दिनांक 15 मई, 1976, एस.आर.ओ. 8(अ) दिनांक 8 जुलाई, 1968, एस.आर.ओ. 126 दिनांक 5 जनवरी, 1970, एस.आर.ओ. 65 दिनांक 21 जनवरी, 1971, एस.आर.ओ. को 314 दिनांक 14 अगस्त, 1971, एस.आर.ओ. 360 दिनांक 10 नवम्बर, 1975, एस.आर.ओ. 2 दिनांक 23 दिसम्बर, 1978, एस.आर.ओ. 247 दिनांक 1 सितम्बर, 1981 एस.आर.ओ. 163 दिनांक 22 अप्रैल, 1983, एस.आर.ओ. 85 दिनांक 24 अप्रैल, 1985, एस.आर.ओ. 26 दिनांक 2 जनवरी, 1987, एस.आर.ओ. 156 दिनांक 30 अप्रैल, 1987, एस.आर.ओ. 56 दिनांक 26 अगस्त 2013 और एस.आर.ओ. 18(अ) दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

S.R.O. 55(E).— In exercise of the powers conferred by Section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, namely: -

1. **Short title and commencement** – (1) These regulations may be called the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, in Regulation 59, in sub-regulation (9), for the word “requestment”, the words “processing of service application” shall be substituted.

[F. No. DL/MF/2435/SRO]

REAR ADMIRAL KUNAL SINGH RAJKUMAR, Jt. Secy.

Note: - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4, *vide* number S.R.O. 2(E), dated 6th February, 1965, and subsequently amended *vide* S.R.O. 15(E) dated 15th May, 1976, S.R.O. 8(E) dated 8th July, 1968, S.R.O. 126 dated 5th January, 1970, S.R.O. 65 dated 21st January, 1971, S.R.O. 314 dated 14th August, 1971, S.R.O. 360 dated 10th November, 1975, S.R.O. 2 dated 23rd December, 1978, S.R.O. 247 dated 1st September, 1981, S.R.O. 163 dated 22nd April, 1983, S.R.O. 85 dated 24th April, 1985, S.R.O. 26 dated 2nd January, 1987, S.R.O. 156 dated 30th April, 1987, S.R.O. 56 dated 26th August, 2013 and S.R.O. 18(E) dated 28th December 2019.